Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डीग में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का वरिष्ठ सहायक 30 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *26 जुलाई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान (एस.आई.यू.) इकाई, जयपुर द्वारा आज डीग में कार्यवाही करते हुये **देवेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डीग** को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान (एस.आई.यू.) इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके एवं उसकी पत्नी के विरूद्ध की जा रही जाँच में पक्ष में कार्यवाही करने की एवज में आरोपी देवेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डीग द्वारा जाँच कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम से **40 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की विशेष अनुसंधान (एस.आई.यू.) इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप सारस्वत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के डीग में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी देवेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला डीग को परिवादी से **30 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी जयपुर की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135—02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**